

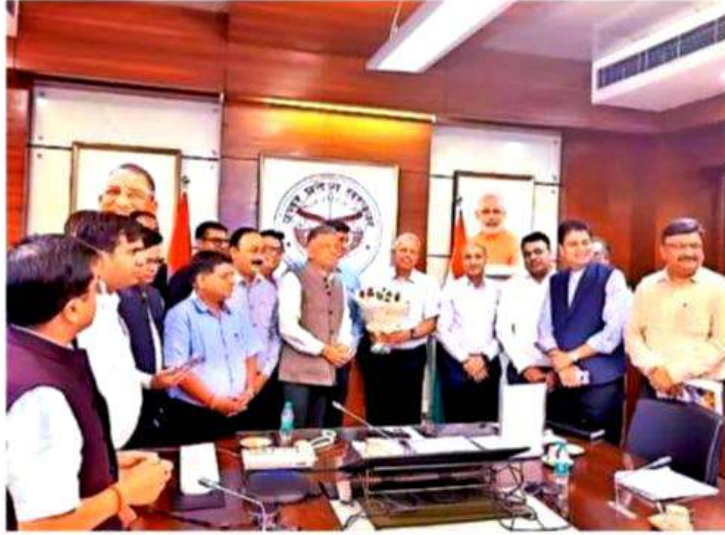
उद्योगों की स्थापना में देर पर होगी कार्रवाई : गोयल

भूमि आवंटन के बाद भी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं किए जाने का मामला

राष्ट्र जागरण • लखनऊ: मुख्य सचिव एसपी गोयल ने औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उद्योगों की स्थापना में देरी को लेकर संबंधित कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि खास तौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इस प्रकार के कई मामले सामने आए हैं जिनमें उद्योगपतियों ने औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए भूमि आवंटित करा ली, लेकिन मौके पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना नहीं कर रहे हैं।

सोमवार को लोकभवन में उद्योग बंधु की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने राज्य के औद्योगिक विकास, निवेश संवर्धन तथा उद्योग स्थापना से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जिन उद्यमियों को औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए हैं, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करें। औद्योगिक भूखंड आवंटन का उद्देश्य केवल भूमि उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि उस पर शीघ्र उद्योग स्थापित कर उत्पादन प्रारंभ कराना है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में निवेश को गति मिलेगी। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवंटित भूखंडों पर स्थापित की जा रही औद्योगिक इकाइयों की नियमित समीक्षा की जाए।

मुख्य सचिव ने यह निर्देश भी दिए कि औद्योगिक विकास



लखनऊ में सोमवार को लोकभवन में आयोजित राज्य स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक के दौरान मुख्य सचिव एसपी गोयल व अन्य • सूचना विभाग

• निवेशकों को सभी आवश्यक स्वीकृतियां-सुविधाएं समय से उपलब्ध कराने पर जोर

प्राधिकरण निवेशकों को सभी आवश्यक अनुमतियां, आधारभूत सुविधाएं एवं प्रशासनिक सहयोग समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराएं। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय मजबूत करने तथा लंबित प्रकरणों का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के निवेशक-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को और

अधिक सुदृढ़ बनाया जाए। बैठक में जल आवंटन, भूमि मानचित्रण में अतिक्रमण तथा मास्टर प्लान में विसंगतियों सहित पीएसपी परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार, प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरुप्रसाद सहित विभिन्न संबंधित विभागों व औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

अमरोहा औद्योगिक कारिडोर के लिए 70% भूमि अधिग्रहीत

अमरोहा में औद्योगिक कारिडोर स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण का करीब 70 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष भूमि अधिग्रहण व बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को 57.47 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस राशि से अमरोहा में तीन हजार एकड़ में स्थापित होने वाले हरित औद्योगिक कारिडोर में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए यूपीडा द्वारा सभी एक्सप्रेसवे के किनारे विभिन्न जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है। इसी क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे मेरठ, बुलंदशहर, हापुड, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ व प्रयागराज में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना पर तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है।